भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 939

29.07.2024 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतें

939. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों का विशेषरूप से उत्तरी राज्यों सहित वर्ष-वार और राज्य-वार, ब्यौरा क्या है:

(ख) सरकार द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास देश में विशेषरूप से उत्तरी राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ रहे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण मरने वाले मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): वायु प्रदूषण के साथ मृत्यु का सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों और उनसे संबंधित बीमारियों को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है। स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है जिसमें पर्यावरण के अलावा व्यक्तियों के खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा पृष्ठभूमि, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरूआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में की गई है, जिसका उद्देश्य 24 राज्यों के 131 शहरों (वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में सभी हितधारकों को नियोजित करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। एनसीएपी में वर्ष 2017 की आधार रेखा की तुलना में वर्ष 2024 तक PM_{10} की सांद्रता में 20-30 प्रतिशत तक कमी लाने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2025-26 तक PM_{10} स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों ($60\mu g/m^3$) को हासिल करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

एनसीएपी के तहत, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 131 शहरों के लिए 19,614.44 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों/शहरी समूहों को XVवें वित्त आयोग वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत और शेष 82 शहरों को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है। अब तक, 131 शहरों को अपने-अपने शहरों में शहर कार्य योजना लागू करने के लिए 11,211.13 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उत्तरी राज्यों के शहरों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसके अलावा, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के लिए एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का गठन किया गया है। सीएक्यूएम ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है, जिसमें क्षेत्र-विशिष्ट कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं, साथ ही एनसीआर राज्यों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समयसीमा और कार्यान्वयन योजना के साथ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया और इसके कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किए गए हैं। जीआरएपी के तहत विभिन्न एक्यूआई स्तरों के लिए सूचीबद्ध कार्रवाइयों को समय-समय पर सीएक्यूएम द्वारा गठित एक उप-समिति द्वारा लागू किया जाता है।

इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदम **अनुबंध-III** में संलग्न हैं।

अनुबंध-I

एनसीएपी के कार्यान्वयन के लिए उत्तरी राज्यों के शहरों को प्रदान की गई धनराशि का विवरण

राज्य	जारी की गई धनराशि (करोड़ में)
चंडीगढ़	32.81
दिल्ली	42.69
हिमाचल प्रदेश	17.50
जम्मू और कश्मीर	115.95
पंजाब	102.70
राजस्थान	57.39
उत्तर प्रदेश	397.14
उत्तराखंड	68.27

अनुबंध-।।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम :

- सभी 131 शहरों द्वारा शहर कार्य योजनाएं (सीएपी) तैयार की गई हैं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।
- एनसीएपी के तहत तैयार की गई शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) जलाने, निर्माण सामग्री और उद्योगों जैसे शहर विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों पर लक्षित हैं।
- शहरी कार्य योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए इन 131 शहरों को कार्य निष्पादन आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा, शहर कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन के लिए धनराशि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम (शहरी), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी), स्मार्ट सिटी मिशन, किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण (फेम-II), नगर वन योजना आदि से प्राप्त संसाधनों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और इसकी एजेंसियों जैसे नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों आदि से प्राप्त संसाधनों के बीच समन्वय के माध्यम से जुटाई जा रही है।
- वायु प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए सभी 131 शहरों में लोक शिकायत निवारण पोर्टल (पीजीआरपी)/हेल्पलाइन विकसित किया गया है।
- वायु प्रदूषण संबंधी आपात स्थितियों में कार्रवाई करने के लिए सभी 131 शहरों द्वारा आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली (ईआरएस/जीआरएपी) विकसित की गई है।
- वित्त वर्ष 2017-18 की आधार रेखा के संबंध में वित्त वर्ष 2023-24 में वार्षिक PM10 सांद्रता के संदर्भ में 131 शहरों में से 95 शहरों ने वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 18 शहरों ने PM10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) (60 µg/m3) को पूरा किया है।

अन्य कदम

- परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों में समय-समय पर संशोधन।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना।
- गैस ईंधन (सीएनजी, एलपीजी, आदि) जैसे स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन का प्रचलन।
- इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाना।
- अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस-VI मानकों को अपनाने वाले वाहनों की शुरूआत।
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना।
- प्रमुख उद्योगों द्वारा ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों तथा एक लाख से दस लाख की आबादी वाले शहरों में प्रति

माह 300 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले पंपों में वाष्प रिकवरी प्रणाली (वीआरएस) की संस्थापना।

- निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी 17 श्रेणियों के उद्योगों को ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) संस्थापित करने का निर्देश दिया।
- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी चालू ईंट भट्टों में मिश्रित प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू किया गया है।
- भारी उद्योग विभाग भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-।। इंडिया) योजना के तहत ई-वाहनों पर सब्सिडी प्रदान कर रहा है।
- किफायती परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी) को कंप्रेस्ड योग-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने की एक पहल के रूप में शुरू किया गया है।

*****

अनुबंध - III

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1.0 वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय:

- 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाना।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू किया गया।
- पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू किया जाएगा ताकि दिल्ली से गुजरने वाले यातायात को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके।
- सीएक्यूएम द्वारा दिल्ली सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेष रूप से एनसीआर में बसों को स्वच्छतर साधनों में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे के बीच चलने वाली सभी राज्य सरकारों की बस सेवाएं 01.11.2023 से केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशानुसार 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली-एनसीआर में 3256 पेट्रोल पंपों पर वीआरएस प्रणाली की स्थापना।

2.0 औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपाय:

- दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना।
- दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां पीएनजी/स्वच्छतर ईंधन पर परिवर्तित हो गई हैं, तथा एनसीआर में परिचालन इकाइयां पीएनजी/बायोमास पर परिवर्तित हो गई हैं।
- दिल्ली और एनसीआर में ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदलने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा में 1762 भट्टे, उत्तर प्रदेश में 1024 भट्टे और राजस्थान में 217 भट्टे सहित कुल 4608 ईंट भट्टों में से 3003 भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदल दिया गया है। जिन ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में नहीं बदला गया है, उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं है।
- डीजी सेट उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के रेट्रोफिटमेंट/उन्नयन के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 24 अक्टूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- दिल्ली-एनसीआर में 01.01.2023 से अनुमोदित ईंधनों की सूची लागू है। तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और प्रक्रिया आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट उद्योगों द्वारा अन्य ईंधन की विशिष्ट आवश्यकता को छोड़कर, केवल पीएनजी या बायोमास पर चलने वाले उद्योगों को ही एनसीआर में अनुमति दी गई है। एनसीआर में 7759 ईंधन आधारित उद्योगों में से 7449 को अनुमोदित

किए गए ईंधनों पर परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि शेष 310 उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं।

- एनसीआर में अनुपालन हेतु बायोमास आधारित बॉयलरों के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

3.0 दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय:

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की थी। उक्त योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2018-2024 के दौरान उक्त योजना के तहत दिल्ली और अन्य राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि 3398.56 करोड़ रुपये है, जिसका उपयोग करके 2.7 लाख से अधिक फसल अवशेष मशीनरी व्यक्तिगत किसानों और सीएचसी को वितरित की गई हैं और 39,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना को सहायता प्रदान करने के लिए योजना के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया।

- सीएक्यूएम ने एनसीआर में औद्योगिक ईंधन के रूप में पीएनजी या बायोमास के उपयोग की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं, सिवाय दिल्ली के, जहां केवल पीएनजी को औद्योगिक ईंधन के रूप में अनुमति दी गई है। सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित थर्मल पावर प्लांट्स और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव पावर प्लांट्स में कोयले के साथ 5-10% बायोमास को सम्मिश्रित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

- सीएक्यूएम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने और नियंत्रित करने के लिए संशोधित कार्य योजना को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

- सीपीसीबी ने धान की पराली पर आधारित पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन प्लांट लगाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और उत्तरी क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों में धान की पराली को खुले में जलाने की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से उपयोग के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत, 06 प्लांट (मनसा- 03, पटियाला- 01, होशियारपुर- 01, अमृतसर- 01) 28 टीपीएच की संचयी क्षमता के साथ कार्यरत हैं।

4.0 निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट

- सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देश (http://www.cpc.gov.in/ पर उपलब्ध)
    1. मार्च, 2017 में निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्टों का पर्यावरणीय प्रबंधन
    2. नवंबर 2017 में 'निर्माण सामग्री और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन में धूल उपशमन उपायों संबंधी दिशानिर्देश'।
    3. खुले में जलाने और लैंडफिल की आग से निपटने के लिए जैव-खनन और जैव-उपचार द्वारा पुराने अपशिष्ट का निपटान।
- सीएंडडी स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन की स्थापना और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए डीपीसीसी और एनसीआर एसपीसीबी को निर्देश जारी किए गए।
- एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए।
- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया।

5.0 दिल्ली-एनसीआर में तकनीकी कार्यकलाप

- सीपीसीबी द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न नई तकनीकों का परीक्षण अध्ययन किया गया है, जिसमें निर्माण स्थलों पर उत्सर्जन और सड़क की धूल पर नियंत्रण के लिए धूल रोकने के मामले में उत्साहजनक परिणाम देखे गए हैं। दिल्ली-एनसीआर में सड़क मालिकों और निर्माण एजेंसियों द्वारा धूल रोकने के उपकरणों के उपयोग के लिए परामर्शिका जारी की गई है।

6.0 दिल्ली-एनसीआर में गहन निगरानी और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन

- दिसंबर 2021 से सीपीसीबी ने सीएक्यूएम की सहायता के लिए 40 टीमों को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों, सीएंडडी साइटों, डीजी सेटों का गुप्त निरीक्षण करने के लिए तैनात किया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कार्यान्वयन स्थिति और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जा सके। 14 जून, 2024 तक कुल 17824 इकाइयों/संस्थाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया है। इन निरीक्षणों के आधार पर, सीएक्यूएम ने 977 मामलों में बंद करने के निर्देश जारी किए हैं और इनमें से 774 मामलों में बहाली के आदेश जारी किए गए हैं जबकि 111 मामले अभी भी बंद करने की प्रक्रिया में हैं और 92 शेष इकाइयों के मामले अंतिम निर्णय के लिए एसपीसीबी/डीपीसीसी को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

- अन्य 15 टीमें (पंजाब और हरियाणा के लिए 33 टीमों के अलावा) सीएक्यूएम को उड़न दस्तों के रूप में उपलब्ध कराई गईं, जो वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण और विध्वंस परियोजनाएं, कच्ची सड़कें, डीजी सेट आदि में इकाइयों/गतिविधियों का गुप्त निरीक्षण करती हैं।

7.0 दिल्ली-एनसीआर में विनियामक कार्रवाई

- सीएक्यूएम द्वारा विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे कि डीजी सेट में आरईसीडी सिस्टम/डबल फ्यूल किट का

क्रियान्वयन, उद्योगों में स्वच्छतर ईंधन का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल ईंधन का उपयोग, सीएंडडी स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का क्रियान्वयन आदि, जिसमें सीपीसीबी भी एक सदस्य है और सीएक्यूएम को तकनीकी इनपुट प्रदान करता है। इसके अलावा, एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीति भी तैयार की गई है।

- सीपीसीबी ने 03 नवंबर, 2023 को दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थिति के मद्देनजर समय-समय पर लागू किए गए जीआरएपी के चरणों के तहत निर्धारित कार्यों के सख्ती से कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिल्ली-एनसीआर एसपीसीबी/पीसीसी को निर्देश जारी किए।

8.0 दिल्ली-एनसीआर में उठाए गए अन्य कदम

- दिनांक 22.02.2024 के परिशिष्ट के साथ पठित, सीएक्यूएम के दिनांक 29.09.2023 के निर्देश संख्या 76 के अनुसार, केवल निर्धारित उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों/प्रणालियों के साथ, दिल्ली-एनसीआर में डीजी सेटों के विनियमित उपयोग की निगरानी और प्रवर्तन। दिल्ली-एनसीआर में सभी क्षेत्रों में केवल स्वीकृत ईंधन के उपयोग पर निरंतर निगरानी, जिसमें सीपीसीबी और एनसीआर राज्य पीसीबी/डीपीसीसी द्वारा निरीक्षण और निगरानी के माध्यम से उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन शामिल है।
- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं विशेषकर इंटरसिटी बस सेवाओं को दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छतर परिवहन साधनों में परिवर्तित करने के लिए सीएक्यूएम के दिनांक 19.10.2023 के निर्देश संख्या 78 का कार्यान्वयन।
- फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद जिलों के और जी.बी. नगर से 31 दिसंबर, 2024 तक डीजल से चलने वाले ऑटो-रिक्शा को पूरी तरह से समाप्त करना तथा ऐसे क्षेत्रों में केवल सी.एन.जी./ई-ऑटो का परिचालन सुनिश्चित करना।
- सीएक्यूएम के निर्देश संख्या 79 दिनांक 13.02.2024 को सभी एजेंसियों को सी एंड डी परियोजनाओं के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र / अधिभोग प्रमाण पत्र केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही जारी किया जाएगा, कि साइट को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है या लागू नहीं है ताकि धूल नियंत्रण / उपशमन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- सीएक्यूएम की एडवाइजरी संख्या 12 दिनांक 14.02.2024 को सभी नगर पालिका निकायों/यूएलबी और एनसीआर राज्य सरकारों/एनसीटी दिल्ली के सभी संबंधित विभागों/निकायों को जारी किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सी एंड डी परियोजनाओं, जिनसे अत्यधिक धूल उत्सर्जन होता है, से धूल के प्रभावी शमन के लिए सभी निर्धारित उपायों को सड़क निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं सहित सभी अनुबंध दस्तावेजों, समझौतों आदि में शामिल किया गया है।
- 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर निर्माण/विध्वंस परियोजनाओं के लिए एनसीआर राज्य के संबंधित वेब-पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित निर्देशों का सख्ती से क्रियान्वयन, साथ ही साइट/क्षेत्र के अनुपात में एंटी-स्मॉग गन की स्थापना। इस संबंध में गैर-अनुपालन के लिए बंद करने के निर्देश सहित दंडात्मक उपाय।
- सभी एनसीआर राज्यों में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) शुल्क लगाने के लिए दिनांक 06.02.2024 के पत्र द्वारा जारी मानक अनुसूची का कार्यान्वयन।

- सीपीसीबी ने 800 किलोवाट सकल यांत्रिक शक्ति तक के डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए रेट्रो-फिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण हेतु सिस्टम और प्रक्रिया तैयार की है। 61-799 किलोवाट क्षमता के डीजी सेटों के लिए आरईसीडी विकसित किए गए हैं और दिल्ली-एनसीआर में आरईसीडी की स्थापना का काम प्रगति पर है। डीजी सेटों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी ईपीसी (पर्यावरण संरक्षण शुल्क) निधि के तहत दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के रेट्रोफिटमेंट/उन्नयन को वित्तपोषित कर रहा है।
- सीपीसीबी सड़क की धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, एनसीआर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सड़कों के निर्माण/मरम्मत और एंटी-स्मॉग गन तथा मैकेनिकल रोड स्वीपर की खरीद के लिए ईपीसी निधि के तहत वित्त पोषित कर रहा है।

*****